कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य को सील करने हेतु आदेश)

पत्रांक 3140 /वाद सं0 सी–0461/एस–5/2024 दिनांक: 31/7, 2024

श्री शुभम खण्डूरी
श्रीकुंज हिल्स एकैडमी मियांवाला
देहरादून।

विपक्षी श्री शुभम खण्डूरी श्रीकुंज हिल्स एकैडमी मियांवाला देहरादून द्वारा प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा 14 मे निर्दिष्ठ अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी लिए बिना अनाधिकृत रूप से स्थल पर लगभग 20 गुणा 35फिट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के दुकानों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

अनाधिकृत निर्माण के प्रत्यावेदन के आधार पर विपक्षी को उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम की धारा 27(1) के अन्तर्गत दिनांक 26.06.2024 को कारण बताओ नोटिस, एवं अधिनियम की धारा 28(1) के अधीन विकास निर्माण कार्य रोकने के आदेश जारी करते हुए वाद संख्या सी–0461/2024 योजित किया गया। विपक्षी से अपेक्षा की गई की दिनांक 04.07.2024 को प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। किन्तु विपक्षी अनुपस्थित रहे। पुनः दिनांक 18.07.2024 नियत की गयी जिसमें विपक्षी उपस्थित रहें है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा उत्तराखण्ड नगर एंव ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 मे निर्दिष्ठ अनुमति के विपरीत विचलन कर निर्माण कार्य किया जा रहा है।

पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि उत्तराखण्ड प्रदेश (उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन किया गया है। चालान शुदा निर्माण को सील किये जाने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त परिस्थितियों में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अध्ययन उपरान्त आपके अवैध निर्माण के विरूद्व सीलिंग के आदेश पारित किया जाना ही विधि सम्मत है।

–आदेश–

विपक्षी श्री शुभम खण्डूरी श्रीकुंज हिल्स एकैडमी मियांवाला देहरादून स्थल पर लगभग 20 गुणा 35फिट क्षेत्रफल में बिना स्वीकृति के दुकानों का निर्माण कार्य किये जाने के कारण उत्तराखण्ड (उ0प्र0 नगर योजना एंव विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन किये जाने के कारण प्रकरण में सील आदेश पारित किये जाते हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त चालान शुदा निर्माण को दिनांक 05-8-24 को सील किया जाना है।

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि सील की तिथि से पूर्व उक्त परिसर को खाली कर दें तथा स्थल पर उपस्थित रह कर सील की कार्यवाही निष्पादित करायें। विपक्षी की अनुपस्थिति मे सील की कार्यवाही एक तरफा सम्पादित हो, विपक्षी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि स्थल पर लगायी गयी सील को न तो क्षतिग्रस्त करे और न होने दे। क्योकि उक्त कृत्य शासकीय कार्य मे बाधा डालना एवं सरकारी सम्पत्ति को क्षति पंहुचाने के समान है जो कि कानूनन दण्डीनीय अपराध है। आदेश की एक प्रति स्थल पर चस्पा हो तथा एक प्रति विपक्षी को तामिल की जाय।

पीठासीन अधिकारी/अधि0 अभियन्ता
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून।